

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष स्कूल/2017-18/ 25/53 दिनांक 24.6.19

राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद,

डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल,

ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017 ।

विषय : राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारण में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

प्रसंग : अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान बांसवाडा का पत्रांक रामाशिअ/बांस/2018-19/114 दिनांक 16.05.2019।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 23575-606 दिनांक 09.08.2017 द्वारा रा.उ.मा.वि. सारण में 1 कक्षा-कक्ष निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 10.00 लाख की जारी की गई थी। उक्त प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में कार्यकारी एजेन्सी से तकनिकी स्वीकृति राशि रु. 10.00 लाख प्राप्त होने से विभागीय पत्रांक 29773-810 दिनांक 10.10.2017 द्वारा 1 कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु राशि रु. 10.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

प्रासंगिक पत्र द्वारा अवगत कराया गया की राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर द्वारा निविदा संख्या 04/2017-18 दिनांक 05.09.2017 द्वारा कम संख्या 84 पर सहवन से 2 कक्षा-कक्ष निर्माण की निविदा आमंत्रित कर दी गई। आमंत्रित निविदा अनुसार प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. सारण पंचायत समिति कुशलगढ द्वारा उनके पत्रांक 134 दिनांक 15.01.2018 द्वारा राशि रु. 17.28 लाख का कार्यादेश जारी कर दिया गया। वर्तमान में दोनो कमरो का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः रा.उ.मा.वि. सारण में 2 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण कार्य की संशोधित तकनिकी स्वीकृति प्राप्त होने से कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 18.00 लाख की निम्नानुसार जारी की जाती है।

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	नाम विद्यालय	पं.स.	प्रशासनिक स्वीकृति		संशोधित तकनिकी स्वीकृति	
			क्र./दि.	राशि	क्र./दि.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सारण	कुशलगढ	23575-606 / 09.08.2017	10.00	12 / 03.07.2018	18.00

राशि रु. 10.00 लाख पूर्व में उपलब्ध करवा दिये गये। अतिरिक्त राशि रु. 8.00 लाख का व्यय संविधान की धारा 275(1) मद अन्तर्गत शासन की स्वीकृति संख्या-46/2017-18 जयपुर दिनांक 27.07.2017 द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थाओ में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय) हेतु स्वीकृत राशि रु. 2100.00 लाख में से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् को पूर्व में उपलब्ध कराई गई राशि में से होगा।

स्वीकृति की शर्तें पूर्ववत रहेगी।

भवदीय


(अंजली राजोरिया), I.A.S
अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
कृ.पू.उ.

क्रमांक एफ-5/अभि/सीटीएडी/कक्षा-कक्ष स्कूल/2017-18/
प्रतिलिपी :-

25/58-63

दिनांक : 24-6-13

1. संयुक्त शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. जिला कलक्टर बांसवाडा।
3. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, बांसवाडा।
4. अतिरिक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् डॉ राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओटीएस पुलिया के सामने राजस्थान जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् बांसवाडा।
6. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
7. निदेशक, मॉनिटरिंग कार्यालय हाजा।
8. प्रभन्सी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
9. प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सारण तहसील कुशलगढ जिला बांसवाडा।
10. गार्ड पत्रावली।


 अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय)
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर (राज.)